

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अंतरांकित प्रश्न संख्या 1001

शुक्रवार 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए

वैज्ञानिक शोध पर सरकारी खर्च

**1001. कुमारी राम्या हरिदास :**

श्रीमती माला राय :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक शोध/विकास पर आने वाले वार्षिक सरकारी खर्च और सकल घरेलू उत्पाद में उसके प्रतिशत अंश का व्यौरा क्या है;
- (ख) इस दिशा में होने वाले खर्च के मामले में अन्य विकासशील और विकसित देशों का तुलनात्मक व्यौरा क्या है;
- (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) सरकार द्वारा शोध परिणामों की समीक्षा कितने अंतराल के बाद की जाती है; और
- (ड) शोध में ज्ञान-चोरी की समस्या जिसका सामना सरकार को करना पड़ता है, उसके लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई/की जा रही है ?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डा. हर्षवर्धन)

(क) और (ख): नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान एसएंडटी क्षेत्र में राष्ट्रीय सकल अनुसंधान और विकास व्यय (जीईआरडी) पर क्रमशः 73,892.79 करोड़ रु. 79,355.89 करोड़ और 85,326.10 करोड़ रुपये था। इस व्यय का वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए 94,516.45 करोड़ रुपये और 1,04,864.03 करोड़ रु होने का अनुमान है। हालांकि, भारत के मामले में, जीडीपी के प्रतिशत हिस्से के रूप में जीईआरडी, अन्य विकसित और विकासशील देशों जैसे कि इज़राइल (4.6%), दक्षिण कोरिया (4.5%), जापान (3.2%), जर्मनी (3.0%), यूएसए (2.8%), फ्रांस (2.2%), चीन (2.1%), यूके (1.7%), कनाडा (1.6%), ब्राजील (1.3%), रूस (1.1%), और दक्षिण अफ्रीका (0.8%) की तुलना में, 0.7% रहा है।

(ग) सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं जैसे कि वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आवंटन में लगातार वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, एसएंडटी के उभरते हुए और अग्रिम क्षेत्रों के शैक्षणिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्रों और सुविधा केन्द्रों का निर्माण, बेसिक रिसर्च के लिए मेगा फेसिलिटीज को सहायता, नई फेलोशिप शुरू करना, एकस्ट्राम्यूरल रिसर्च फंडिंग के माध्यम से क्षमतावान वैज्ञानिकों को पर्याप्त अनुदान, ऊर्जा अपव्यय निवारण सहित स्वच्छ ऊर्जा और जल, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, स्मार्ट ग्रिड, मेथनॉल, डिसेलिनेशन, जीनोम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम), नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम (आईसीपीएस) आदि जैसे नए क्षेत्रों में निर्धीयन वृद्धि, नवोन्मेष प्रोत्साहन, युवा वैज्ञानिकों के लिए उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप अनुदान, एस एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर (फिस्ट) सुधार निधि, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, आरएंडडी में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन और सहायता उपाय आदि।

(घ) विभिन्न वैज्ञानिक विभागों और अनुसंधान संगठनों में अनुसंधान के परिणामों की प्रति वर्ष लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा आवधिक अंतराल पर की जाती है। मध्य-आवधि और पाँच वर्षीय अवधि में तृतीय पक्षीय लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान योजनाओं की भी लेखापरीक्षा की जाती है।

(ङ.) सरकार ने अनुसंधान में साहित्यिक चोरी की समस्या का सामना किया है और देश में इस मुद्दे को हल करने के लिए यूजीसी द्वारा "शैक्षणिक सत्यनिष्ठा संवर्धन और उच्च शिक्षा संस्थान साहित्यिक चौर्य निवारण, 2018" पर एक विनियम जारी किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों ने इस संबंध में आचार समिति का गठन किया है।

\*\*\*